219

आयोजनागत

संख्या–1273 / III (2)/12–02(बजट)/2012

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

,सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 23 अप्रैल, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान में लोक निर्माण विभाग हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 04/32 बजट (सामान्य)/2012–13 दिनांक 04 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान में लोक निर्माण विभाग हेतु अनुदान सं0– 22, 30 एवं 31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में संलग्न विवरणानुसार विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **₹ 13950.00 लाख (₹ एक सौ उन्चालीस करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि, निम्न शर्तों के अधीन, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर –116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– आयोजनागत पक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0 प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

4– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग–I के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0:–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6– ई–टेण्डरिंग के सम्बन्ध में लोक निर्माण अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 06 जून, 2011 में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– उत्तराखण्ड में लागू समस्त प्रोक्योरमेंट रुल्स के अधीन ही समस्त प्रक्रियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

8– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

9– साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जायें एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर–17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11– उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने एवं तद्क्रम में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप व्यय को नियंत्रित करने की बाध्यता के उद्देश्य से व्यय हेतु धनराशियां अवमुक्त करने एवं वास्तविक व्यय की सघन व नियमित दृष्टि रखना आवश्यक है। अतः राज्य में बजट आबंटन एवं नियंत्रण के लिये एन0आई0सी0 के सहयोग से निदेशालय एवं कोषागार एवं वित्त सेवाऐं के डेटा सेन्टर द्वारा विकसित साफ्टेवयर के माध्यम से बजट आबंटन दिनांक 01 अप्रैल,2012 से किया जाना है। अतएवं इस सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु बजट आबंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । वित्त अनुभाग–1 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में शासन स्तर से साफ्टवेयर के माध्यम से उक्तानुसार आयोजनागत् पक्ष के सुसंगत उप मानक मदों में **₹13950.00 लाख (₹ एक सौ उन्चालीस करोड़ पचास लाख मात्र)** का बजट आबंटन लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 –22, 30 व 31 में संलग्न विवरणानुसार अलॉटमेन्ट आई0डी0 सं0:–S1204220634, S1204220636, S1204220640, S1204220641, S1204220642, S1204220643, S1204220644, S1204220645, S1204220646, S1204220647, S1204220648, S1204220650, S1204220651, S1204220652 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान में अनुदान सं0–22, 30 व 31 के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत लेखा शीर्षकों एवं प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–328/XXVII(2)/2012 दिनांकः 20 अप्रैल, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्या–1273 (1)/ III(2)/12–02(बजट)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (साईबर ट्रजरी), 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ,उत्तराखण्ड देहरादून।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महिमा।

(महिमा)
अनु सचिव।

शासनादेश सं0– 1273 / III–(2) / 12–02(बजट) / 2012 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0:– 22, 30 एवं 31 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कोड सं0:– 4227–मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0, देहरादून के निवर्तन में साफ्टवेयर के माध्यम से अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण:–

(धनराशि लाख ₹ में)

S. No	Allotment ID No	Date of Allotment	Grant No	Scheme Code	Amount Released (In Lac)
1	S1204220634	23-04-2012	22	4059-80-800-12-00-24	80.00
2	S1204220636	23-04-2012	22	4059-80-800-10-00-24	80.00
3	S1204220640	23-04-2012	22	5054-03-101-03-00-24	1000.00
4	S1204220641	23-04-2012	22	5054-04-800-03-01-24	10000.00
5	S1204220642	23-04-2012	22	5054-04-800-05-00-24	1000.00
6	S1204220643	23-04-2012	30	5054-04-800-02-01-24	833.33
7	S1204220644	23-04-2012	30	5054-04-800-02-03-24	66.67
8	S1204220645	23-04-2012	31	5054-04-796-02-00-24	533.33
9	S1204220646	23-04-2012	31	5054-04-796-03-00-24	40.00
10	S1204220647	23-04-2012	22	3054-04-337-03-01-24	233.33
11	S1204220648	23-04-2012	22	3054-80-800-03-01-24	16.67
12	S1204220650	23-04-2012	22	3054-80-800-03-02-20	1.67
13	S1204220651	23-04-2012	22	3054-80-800-03-04-16	50.00
14	S1204220652	23-04-2012	22	3054-80-800-04-00-24	15.00
	Total for Grant 22, 30, 31				**13950.00**

(₹ एक सौ उन्चालीस करोड़ पचास लाख मात्र)

(महिमा)
अनु सचिव।